भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 575
गुरूवार, 21 **जुलाई, 2022/30 आषाढ़**, **1944 (शक)**

देश में बेरोज़गारी दर

575. श्री लूइझिनों जोएक्विम फलेरोः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में वर्ष 2009-14 की अवधि की तुलना में 2014-2022 में बेरोज़गारी की दर बढ़ी रही है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार देश में बेरोज़गार युवाओं की सटीक संख्या कितनी है और उनके लाभप्रद रोज़गार के लिए कौन सी योजनाएं आरंभ की गई है;

(ग) देश में कितने राज्यों ने स्वयं अपनी रोज़गार योजनाएं आरंभ की हैं और आज की तारीख में इनकी क्या उपलब्धि है; और

(घ) गोआ में कौन सी रोज़गार योजनाएं हैं और पिछले पांच वर्षों में उनसे कितने युवा लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित वर्ष 2017-18 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, वर्ष 2011-12 से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की सामान्य स्थिति आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित बेरोजगारी दर निम्नानुसार है।

सर्वेक्षण	वर्ष	बेरोजगारी दर (% में)
श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण	2011-12	3.3%
	2012-13	4.0%
	2013-14	3.4%
	2015-16	3.7%
	2016-17	3.9%
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)	2017-18	6.0%
	2018-19	5.8%
	2019-20	4.8%
	2020-21	4.2%

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई और श्रम ब्यूरो

दोनों सर्वेक्षणों के परिणाम अर्थात पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो अलग-अलग नमूना पद्धति और कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं। पीएलएफएस, श्रम बल की मौसम संबंधी तत्व को कवर करता है क्योंकि यह जुलाई से जून (अर्थात् पूरे वर्ष) की अवधि के दौरान आयोजित किया जाता है जबकि श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में क्षेत्र का काम 7 से 9 महीने तक होता है और इसलिए, पूर्ण मौसम संबंधी तत्व को कवर नहीं किया गया था।

पीएलएफएस की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान वर्ष15-19 आयु की सामान्य स्थिति आधार पर युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 12.9% है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। दिनांक 13.07.2022 तक 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा होंगें।

सरकार दिनांक 1 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 11 जुलाई, 2022 तक, इस योजना के तहत 30.26 लाख लाभार्थियों को ₹3,615 करोड़ की राशि के 33.34 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए है।

राज्यों की रोजगार योजनाओं संबंधी सूचना इस मंत्रालय में केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, भारत सरकार की प्रमुख रोजगार सृजन योजनाएं और गोवा राज्य में उनकी उपलब्धि अनुबंध में दी गई है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 21.07.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 575 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गोवा राज्य में कुछ प्रमुख रोजगार सृजन योजनाओं के तहत उपलब्धियां

क्र.सं.	योजनाएं	उपलब्धियां
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक (30.06.2022 तक) अनुमानित सृजित रोजगार: 3040 व्यक्ति
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	2017-18 से 2022-23 तक (13.07.2022 तक) व्यक्ति प्रतिदिन सृजित रोजगार: 3.6 लाख
3	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	01.04.2014 से 28.02.2022 तक प्रशिक्षित उम्मीदवार: 5636 नियोजित उम्मीदवार: 2761
4	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)।	अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2022 तक लाभार्थी लाभान्वित: 26,025
5	पीएम-स्वनिधि	जून, 2020 से 2020 से 12 जुलाई, 2022 स्वीकृत ऋण आवेदन: 1715
6	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)	दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक स्वीकृत ऋण: 1,96,688 स्वीकृत राशि: 2,554.3 करोड़
7	आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)	अक्तूबर, 2020 से 13 जुलाई, 2022 तक लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या: 20,653 लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या: 534